बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–01–200/2019 252 /पटना, दिनांक :– 24.1.23

जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक–886 दिनांक–21.09.2017 द्वारा स्व0 योगेन्द्र मंडल, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के पुत्र श्री रिंकु मंडल के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में असत्य पाये जाने के कारण दिनांक–14.01.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रिंकु कुमार मंडल के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने के लिये श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुशंसा ग्रामीण कार्य विभाग से की गयी।

2. जिला पदाधिकारी के उक्त पत्र के आलोक में श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी से स्पष्टीकरण की माँग विभागीय पत्रांक–439 दिनांक–06.03.2018 द्वारा किया गया। अनेक स्मार पत्रों के बावजूद भी श्री पासवान का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण श्री पासवान के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत विभागीय पत्रांक–365 अनु0 दिनांक–17.02.2022 द्वारा कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री पासवान के पत्रांक–शून्य दिनांक–07.03.2022 द्वारा अपना कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया। श्री पासवान से प्राप्त कारण पृच्छा के समीक्षा में यह पाया गया कि स्व0 योगेन्द्र मंडल, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के पुत्र श्री रिंकु मंडल के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में असत्य पाया गया। श्री पासवान ने प्रमाण पत्र को जाँच कराये बिना ही अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा जिला पदाधिकारी को भेज दी। साथ ही श्री पासवान द्वारा श्री रिंकु मंडल के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी स्पष्टीकरण पूछने पर भी जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी अथवा विभाग को नहीं दी गई, जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

4. श्री अशोक कुमार पासवान, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 5% (पाँच प्रतिशत) की कटौती करने का निर्णय लिया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुये इनके विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

(i) पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 05(पाँच) प्रतिशत की मासिक कटौती।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23/1/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–200/2019 253 /पटना, दिनांक :– 24.1.23

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Sd/- 23/1/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–200/2019 253 /पटना, दिनांक :– 24.1.23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 23/1/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–200/2019 253 /पटना, दिनांक :– 24.1.23

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी–6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार पता–मोहल्ला–विसायटोला, डाकघर+थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर, पिन कोड–853204 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 23/1/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–200/2019 253 /पटना, दिनांक :– 24.1.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।

Sd/- 23/1/2023
विशेष सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih